संख्या- /2016/ /पांच-6-2016-31(निर्माण)/16टी.सी.-1

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद लखनऊ के आलमबाग में चन्दरनगर स्थित सिविल डिस्पेंसरी के पुराने भवन के स्थान पर 50 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-10021/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 28.09.2016 तथा शासनादेश संख्या-51/5-6-2016-31(निर्माण)/16 दिनांक 05.07.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ के आलमबाग में चन्दरनगर स्थित सिविल डिस्पेंसरी के पुराने भवन के स्थान पर 50 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य हेतु रू0 1654.33 लाख (रू0 सोलह करोड़ चौवन लाख तैंतीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं रू0-300.00 लाख (रूपया तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा शासनादेश संख्या-51/5-6-2016-31(निर्माण)/16 दिनांक 05.07.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) नियमानुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(5) विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(8) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(9) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(10) विभाग द्वारा बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपराइटरी संबंधी कार्यमदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ संपादित कराया जाए एवं इन मदों पर वास्तविक व्यय ही देय होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा। निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के अनुरूप ही कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(13) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका व्यय/उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(15) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(16) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(17) उपर्युक्त स्वीकृत लागत में सर्विस टैक्स भी सम्मिलित है।

2- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32-लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-80-शहरी क्षेत्रों में 50 शैयया युक्त संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-1540/दस-16 दिनांक 11 नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 290 /2016/2397 (1)/पांच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ ।
7. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक/संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
12. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
13. विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।